जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक:17 जनवरी,2012

क्रमांक ए-1-16/2010/(चार)जसंसं/स्था./ ४२२ /**विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत संचार सहायक ग्रेड-तीन (अन्य पिछड़ा वर्ग) के सीधी भर्ती के पद के लिए** सम्पन्न लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी कुमारी भावना कुमरावत आत्मज स्व. श्री सुरेशचन्द्र कुमरावत,ग्राम नाई मोहल्ला बड़वानी,पोस्ट बड़वानी तहसील बड़वानी,जिला बड़वानी को अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचार सहायक ग्रेड-तीन (वेतनमान 5200-20200+ग्रेड पे 2400) के पद पर नियुक्त किया जाता है । कुमारी भावना कुमरावत को अन्य आदेश पर्यन्त जिला जनसंपर्क कार्यालय,खण्डवा में पदस्थ किया जाता है । मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2009 में दिये गये प्रावधानो के तहत इनका वेतन वेतन वेण्ड 5200-20200 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रूपये 7440/- ग्रेड-पे 2400/- निर्धारित होगा । कुमारी भावना कुमरावत की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थः-अवकाश नियम,पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा ।
4. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।
5. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । शासकीय सेवा में उपयुक्त पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा ।
6. कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने पर तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. कि नियुक्त कर्मचारी दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त रहेंगे । परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोष जनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन प्राप्त होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा संचार सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु की प्रविष्टि अंकित कर दी गई है ।

(राकेश श्रीवास्तव)
आयुक्त,जनसंपर्क

निरन्तर--...2

पृ.क्रमांक ए-1-16/2010/(चार)/जसंसं/स्था./ 423 / भोपाल,दिनांकः 17 जनवरी ,2012

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
2. अपर सचिव,म.प्र.शासन,जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. संभागीय आयुक्त /जिला कलेक्टर इन्दौर/खण्डवा ।
4. आयुक्त,कोष एवं लेखा संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल ।
5. समस्त अपर संचालक,जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक(लेखा-बजट)जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय, भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक,सम्भागीय जनसंपर्क कार्यालय,इन्दौर
8. वरिष्ठ निज सहायक,आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय,मुख्यालय,भोपाल ।
9. सहायक संचालक,जिला जनसंपर्क कार्यालय खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रति भेज कर लेख है कि नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर संचालनालय को अवगत करायें । मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही नियुक्त किए गए कर्मचारी का बायोडाटा भी कोषालय में फीड कराएँ ।
10. कोषालय अधिकारी,जिला कोषालय खण्डवा।
11. प्रभारी अधिकारी,सेन्ट्रल सर्वर,कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।
12. प्रशासकीय अधिकारी/सहायक जनसंपर्क अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी/कनिष्ठ लेखाधिकारी/लेखापाल/कनिष्ठ लेखापाल, स्थापना (गोपनीय प्रभाग),लेखा(जी.पी.एफ/जी.आई.एस/ टी.ए)/बजट,सूचना के अधिकार कक्ष, वेबसाईट कक्ष जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल ।
13. **कुमारी भावना कुमरावत आत्मज स्व. श्री सुरेशचन्द्र कुमरावत,ग्राम नाई मोहल्ला बड़वानी,पोस्ट बड़वानी तहसील बड़वानी,जिला बड़वानी** म.प्र.की ओर **रजिस्टर्ड डाक** से नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें । निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
14. स्टाक/रिकार्ड फाईल ।

(सुरेश तिवारी)
अपर संचालक (प्रशा.)

order_2011